

कार्यालय परियोजना प्रबंधक WCDC, सह उपसंचालक कृषि जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड परियोजना (PMKSY 2.0)

क्रमांक / 798 /उ.स.कृ/PMKSY-2.0/T-11/2023-24

कांकेर, दिनांक-29/05/2023


- :: प्रेस विज्ञप्ति ::-


प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनांतर्गत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्तर पर माइक्रोवाटरशेड सचिव के कुल 28 पदों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.06.2023 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.kanker.gov.in में देखे जा सकते हैं।

संलग्न - संविदा भर्ती विज्ञापन का प्रारूप।

पृ.क्रमांक / 799 /उ.स.कृ/PMKSY-2.0/T-11/2023-24
प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला उ0ब0 कांकेर को कांकेर जिले के वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, उ0ब कांकेर को समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


परियोजना प्रबंधक WCDC
सह उपसंचालक कृषि
जिला उत्तर बस्तर कांकेर
कांकेर, दिनांक-29/05/2023


परियोजना प्रबंधक WCDC
सह उपसंचालक कृषि
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय उप संचालक कृषि
सह परियोजना प्रबंधक WCDC (जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र)
जिला- उ0ब0 कांकेर (छ0ग0)

क्रमांक / 789 /उ.स.कृ/PMKSY-2.0/T-11/2023-24

कांकेर, दिनांक-29/05/2023

माइक्रो वाटरशेडों में सचिव (संविदा) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छ.ग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर, लाभाण्डी रायपुर छ.ग के पत्र क्रमांक/662/CGSWMA/22 रायपुर, दिनांक 29.09.2022 के द्वारा वर्ष 2021-22 अंतर्गत WDC- PMKSY 2.0 हेतु जिले में 03 नवीन परियोजनाओं की स्वीकृती प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत विकासखण्ड कांकेर में 20 एवं विकासखण्ड दुर्गुकोंदल में 08 माइक्रो वाटरशेड है । जिला कांकेर के WDC- PMKSY 2.0 परियोजनाओं में परियोजना अवधि तक के लिए प्रत्येक माइक्रो वाटरशेड कमेटी के सचिव हेतु 01 पद राशि रु. 5000/- (अक्षरी पांच हजार रुपये) एक मुश्त मासिक मानदेय में संविदा नियुक्ति की स्वीकृती दी गई है । प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड कमेटी के सचिव पद हेतु बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्य से दिनांक 09.06.2023 तक कार्यालयीन समयावधि में आवेदन आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि कांकेर के सचूना पटल एवं जिले के वेब साइट www.kanker.gov.in से प्राप्त की जा सकती है । अंतिम तिथि एवं समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा -

माइक्रो वाटरशेड कमेटीवार सचिव भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -

क.	पद का नाम	जलग्रहण समिति का नाम	सम्मिलित ग्राम का नाम	अना	अ.पि. वर्ग	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	कुल रिक्त पद
1	सचिव माइक्रो वाटरशेड कापसी वि०ख कांकेर	मा.वा.शेड आलबेड़ा	आलबेड़ा, रोडे	0	0	0	1	1
2		मा.वा.शेड भैराडीह	भैराडीह, सुरेली	0	1	0	0	1
3		मा.वा.शेड धनेलीकन्हार	कन्हारपुरी, रोडे, धनेलीकन्हार	1	0	0	0	1
4		मा.वा.शेड डोमाहरा	कोटगांव उपर, कोटगांव नीचे, डोमाहरा	0	0	0	1	1
5		मा.वा.शेड कापसी	कापसी	1	0	0	0	1
6		मा.वा.शेड कोलियारी	कोलियारी, पुसाझर	1	0	0	0	1
7		मा.वा.शेड कोरेठा	कोरेठा, सुरेली	0	0	0	1	1
8		मा.वा.शेड तेलावट	मरकाटोला, तेलावट	0	1	0	0	1
9		मा.वा.शेड वर्चमोदी	वर्चमोदी, आलबेड़ा	0	0	0	1	1
10	सचिव माइक्रो वाटरशेड कोड़ेजुंगा वि०ख कांकेर	मा.वा.शेड बारदेवरी	बारदेवरी	1	0	0	0	1
11		मा.वा.शेड भीरावाही	भीरावाही, सिदेसर, डुमाली, सरंगपाल, गोतपुर	0	0	0	1	1
12		मा.वा.शेड गोविन्दपुर	गोविन्दपुर, दुराखार, अर्जुनी	0	0	0	1	1
13		मा.वा.शेड खमडोढ़गी	खमडोढ़गी	0	0	0	1	1
14		मा.वा.शेड कोड़ेजुंगा	कोड़ेजुंगा	0	1	0	0	1
15		मा.वा.शेड कोकपुर	कोकपुर	0	0	0	1	1
16		मा.वा.शेड माकड़ी सिंगराई	नंदनमारा, माकड़ीखुना, माकड़ी सिंगराई	1	0	0	0	1
17		मा.वा.शेड मालगांव	मालगांव	0	1	0	0	1
18		मा.वा.शेड माटवाड़ा लाल	माटवाड़ा लाल	0	0	0	1	1
19		मा.वा.शेड मुरडोंगरी	मुरडोंगरी	0	0	0	1	1
20	मा.वा.शेड टेलकाबोड़	टेलकाबोड़	0	0	0	1	1	
21	सचिव माइक्रो वाटरशेड जाड़ेकुर्स वि०ख दुर्गुकोंदल	मा.वा.शेड बेझहर	बेझहर, तुमरीसुर	0	0	0	1	1
22		मा.वा.शेड गुदुम	पित्तफुलचुर, धनवाफुलचुर, गुदुम	0	0	1	0	1
23		मा.वा.शेड जाड़ेकुर्स	जाड़ेकुर्स	0	0	0	1	1
24		मा.वा.शेड लोहत्तर	लोहत्तर, सोनादाई	0	0	0	1	1
25		मा.वा.शेड ओडाहुर	ओडाहुर, मेरेगांव	1	0	0	0	1
26		मा.वा.शेड परभेली	परभेली, शितलपु, भेलवापानी	0	0	0	1	1
27		मा.वा.शेड पित्तचोड़	पित्तचोड़	0	0	0	1	1
28		मा.वा.शेड सिलपट	सिलपट	1	0	0	0	1
योग -				7	4	1	16	28

५

माइक्रो वाटरशेड सचिव की संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों/नियमों के अधीन होगी –

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण :- सचिव माइक्रो वाटरशेड की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण निम्नानुसार है –

न्यूनतम अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक	
12 वीं पास । माइक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी एवं कम्प्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी ।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	85
	न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
	5 वर्ष तक का अनुभव	10
	5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15


- संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष की होगी । WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा । माइक्रो वाटरशेड सचिवों पदों की स्वीकृति केवल परियोजना अवधि तक के लिए है परियोजना समाप्त होते ही चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं स्वमेय समाप्त हो जायेगी । ये भर्ती पूर्णतः अस्थायी पद है ।
- आवेदक को कांकेर जिला अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है । (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।
- आवेदक की आयु दिनांक दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अ.जा, अ.ज.जा, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी ।
- अ.जा, अ.ज.जा, पिछड़ा वर्ग जाति की पुष्टि में आवेदकों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
- शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवे एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे ।
- उपरोक्त पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आधारित मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
- चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी । नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे । ऐसे आवेदन पत्र के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी ।
- आवेदन बंद लिफाफे में कार्यालय उप संचालक कृषि जिला-उ0ब0 कांकेर में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 09.06.2023 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे । समय-सीमा पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- योजनांतर्गत समस्त संविदा पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC होगा ।
- विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहा है ।
- जन्मतिथि के प्रमाण के लिए हाईस्कूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

16. प्रत्येक अभियर्थी द्वारा संलग्न करने हेतु प्रमाण पत्र—1.हाईस्कूल की अंकसूची 2.हायर सेकेंडरी की अंकसूची 3. निवास प्रमाण पत्र 4.उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति , अनुजनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु) 5.अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र(शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए) 6.रोजगारकार्यालय पंजीयन 7.02 पासपोर्ट साईज का फोटो 8.आधार कार्ड की छायाप्रति एवं उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाईल नंबर तथा खाली लिफाफा 5रु. काडाक टिकट सहित प्रेषित करेंगे।
17. इस विज्ञापन में जिला स्तर पर वर्तमान में लागू रोस्टर के आधार पर संवर्गवार रिक्तियां सुनिश्चित की गई है।
18. चयन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. नियुक्ति की अन्य शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर कार्यालय उप संचालक कृषि जिला उ0ब कांकेर के सूचना पटल एवं कांकेर जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखा जा सकता है।
20. आवेदक केवल एक ही माइक्रो वाटरशेड (जलग्रहण समिति) की सचिव पद हेतु आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रथम प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुये शेष समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माने जावेंगे। अतः आवेदन में माइक्रो वाटरशेड (जलग्रहण समिति) का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
21. तैयार मेरिट सूचि से रिक्त पदों में अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु बुलाया जायेगा तदोपरांत चयनित/अनुमोदित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC द्वारा जारी किया जावेगा।
22. वेतन :-उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन,मंहगाई भत्ता,गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
23. मासिक एक मुश्त राशि का निर्धारण वह होगा,जो छ.ग.राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी(CGSWMA) द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
24. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
25. अवकाश की पात्रता—संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
26. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ.में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी का देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
27. प्रसूति अवकाश — शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
28. अन्य शर्तें —छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे।
29. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
30. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
31. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात ,संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए, किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, मृत्युलाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
32. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

३

33. सचिव, माइक्रोवाटर शेड के उत्तरदायित्व

- 33.1 वाटरशेड विकास परियोजना के संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति की बैठकें आयोजित करना।
- 33.2 सभी निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करना।
- 33.3 परियोजना कार्यकलापों तथा ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों के सभी अभिलेखों को रखना।
- 33.4 भुगतानों तथा अन्य वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करना।
- 33.5 वाटरशेड समिति की ओर से वाटरशेड विकास दल के नामिती के साथ धनादेश परसंयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।
- 33.6 प्रोजेक्ट अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय के संबंधी, कैश-बुक/बैलेंस शीट आदि अभिलेखों का नियमानुसार संधारण करना।
- 33.7 प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्माण कर््यों की पंजी संधारित करना तथा गाइडलाईन के प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष की समाप्ति उपरांत परिसंपत्तियों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की पंजी संधारित करना।


उप संचालक कृषि,
सह परियोजना प्रबंधक (WCDC)
जिला उ०ब कांकेर (छ०ग)

**माइको वाटरशेड सचिव पद पर (संविदा) नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप**

प्रति,

उप संचालक कृषि
जिला- उ०ब० कांकेर (छ.ग.)

विषय :- माइको वाटरशेड कमेटी के सचिव पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ।

1. आवेदित माइको वाटरशेड का नाम माइकोवाटरशेड सचिव, माइको वाटरशेड का नाम.....
विकासखण्ड जिला कांकेर (छ.ग.)
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी केपीटल लेटर में)
3. लिंग (पुरुष / महिला)
4. वैवाहिक स्तर
(विवाहित / अविवाहित / विधवा / विधुर)
5. पिता / पति का नाम
6. प्रवर्ग (सामान्य / अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा.)
7. जन्मतिथि (अंकों में)
(शब्दों में)
8. दिनांक 01.01.2023 को आयु
9. जाति
(आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें
10. स्थयी पता
11. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
(दूरभाष क्रमांक सहित)
12. क्या आवेदक जिस माइकोवाटरशेड समिति में आवेदन कर रहा है, उस माइकोवाटरशेड समिति में सम्मिलित ग्राम का निवासी है ? नहीं
13. यदि हां तो ग्राम का नाम उल्लेख करें
14. शैक्षणिक योग्यता

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा / डिग्री	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ वि.वि.का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

15. जलग्रहण क्षेत्र में अनुभव हां/नहीं, यदि हां तो विवरण दें-

पद का नाम	नियोक्ता	अनुभव की अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव वर्ष

16. अन्य तकनीकी अर्हताएं

17. अनुभव का विवरण

18. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक.....

15 क्या आप विवाहित है ?

यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

16 जीवित बच्चों की संख्या

17 क्या आवेदक शासकीय /अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है/थे ? (यदि हां तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

18 क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने /न्यायालय में लंबित है ? अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।

19 आवेदक यदि सेवा निवृत्त है तो पूर्व सेवा का विवरण दें

टीप:- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें

संलग्न प्रमाणों की सूची ।

01 :-

02:-

03 :-

04:-

05 :-

06:-

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य एवं सही है कोई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूरा पता).....